25/3/19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि धारा 40 से सम्बंधित मूल वाद का निस्तारण हो चुका है अतः धारा 40 कार्यवाही निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रह जाता अतः इसलिए धारा 40 कार्यवाही निषेधाज्ञा को मूल वाद का निस्तारण होने से समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो व दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)